COOP

Phone :- 0612-2219819
Fax :- 0612-2232377
E-mail :- biscomaun@gmail.com
info@biscomaun.co.in

बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित
(बिस्कोमान)
बिहार एवं झारखण्ड

छठा तल, बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800001

Ref. No. बैठक/225/एम-1018 Date:- 25/11/2024

प्रेषक,

प्रबंध निदेशक,
बिस्कोमान(बिहार एवं झारखण्ड)
पटना।

सेवा में,

सभी वर्ग "A" प्रतिनिधि, बिहार एवं झारखण्ड राज्य/वर्ग "B" प्रतिनिधि झारखण्ड राज्य

श्री/श्रीमती ....

....

पता ....

प्रतिनिधि (समिति का नाम) ....

....

विषयः– बिहार राज्य सहयोग क्रय विक्रय संघ सीमित(बिस्कोमान) बिहार एवं झारखण्ड के निदेशक मंडल के निर्वाचन के निमित विशेष आम सभा एवं सामान्य निकाय के लिए जिलास्तरीय प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में।

महाशय,

सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक CEA-12011/25/2024 दिनांक 08.11.2024 के आलोक में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिस्कोमान के सामान्य निकाय एवं निदेशक मंडल के गठन की प्रक्रिया जारी है। इस हेतु बिस्कोमान की उपविधि संख्या 20 एवं बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 (यथा संशोधित) की धारा 38(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जिलास्तर पर प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाना है। जिलास्तर पर निर्वाचित समिति के प्रतिनिधि ही विशेष आम सभा एवं निर्वाचन में भाग लेंगे।

अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक बैठक/225/एम–711, दिनांक 27.09.2024 के आलोक में समिति द्वारा प्रतिनिधि के रूप में आपको नामित किया गया है। आपके जिलान्तर्गत बिस्कोमान से सम्बद्ध कुल अंशधारी योग्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के बीच से विशेष आम सभा एवं सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधि का निर्वाचन होना है। उक्त के आलोक में बिस्कोमान की उपविधि 20 (iii) एवं 20 (iv) के प्रावधानों के आलोक में जिला स्तर पर प्रतिनिधियों का निर्वाचन निम्नांकित रूप से किया जा सकेगाः–

(i) जिले में प्राप्त **"B"** वर्ग की समितियों के प्रतिनिधियों के बीच से प्रत्येक जिले में एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा।

(ii) जिले में वर्ग A की योग्य समितियों में से 3(तीन) पर एक एवं उसके अंश पर एक अधिकतम सात प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा।

(iii) यदि जिले में वर्ग A के प्रतिनिधियों के बीच SC/ST के प्रतिनिधि उपलब्ध हो तो न्यूनतम एक प्रतिनिधि का निर्वाचन SC/ST के वर्ग से होगा।

(iv) यदि वर्ग A से 100 शेयर या उससे अधिक अर्थात एक लाख रूपए या उससे अधिक का शेयर समिति द्वारा धारित किया जाता है तथा समिति का कार्य क्षेत्र जिला/प्रमण्डल अथवा राज्य है तो इसके प्रतिनिधि सामान्य निकाय/विशेष आम–सभा के लिए सीधे ही निर्वाचित घोषित किये जायेंगे। ऐसे प्रतिनिधि भी विहित प्रपत्र में नामांकन करेंगे परंतु इनके लिए किसी प्रस्तावक या समर्थक की आवश्यकता नहीं होगी। इनकी गणना उपरोक्त कंडिका–ii की संख्या के अतिरिक्त होगी। स्पष्ट हो कि 100 शेयर या 100 से अधिक शेयर धारक को जिला स्तर पर निर्वाचन हेतु वर्ग 'A' के प्रतिनिधि निर्वाचन में मतदान का अधिकार होगा।

(v) उल्लेखनीय है कि सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक CEA-12011/25/2024 दिनांक 20.09.2024 एवं तत्संबंधी निबंधक, सहयोग समितियाँ बिहार के पत्रांक 7905 दिनांक 16.10.2024 के द्वारा जिला स्तरीय

निर्वाचन हेतु संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी नियुक्त किया गया है।

(vi) निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2221(6) राँची दिनांक 22.11.2024 के द्वारा खूँटी जिले एवं रामगढ़ जिले में क्रमशः सहायक निबंधक, खूँटी एवं सहायक निबंधक, हजारीबाग को तथा शेष जिलों में सम्बन्धित जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

अतः अनुरोध है कि निम्न वर्णित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की कृपा की जाय।

सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक CEA-12011/25/2024 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम के आलोक में

जिला स्तरीय प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रम का विषय	तिथि	समय	स्थान
1.	प्रतिनिधि सूची का प्रदर्शन	10.12.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय
2.	प्रतिनिधि सूची पर आपत्ति	10.12.2024	12:00 बजे अपराह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक	"
3.	प्रतिनिधि सूची पर प्राप्त आपत्तियों की जाँच एवं वैध प्रतिनिधि सूची का प्रकाशन	11.12.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक	"
4.	प्रतिनिधियों के द्वारा नामांकन	12.12.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक	"
5.	नामांकन सूची का प्रदर्शन	12.12.2024	अपराह्न 01:10 बजे तक	"
6.	नामांकन सूची पर आपत्ति	12.12.2024	अपराह्न 01:30 बजे तक	"
7.	आपत्तियों की जाँच एवं वैध नामांकन सूची का प्रदर्शन	12.12.2024	अपराह्न 01:35 बजे से 02:00 बजे अपराह्न तक	"
8.	नामांकन वापसी एवं वापसी के पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन	12.12.2024	अपराह्न 02:30 बजे से 3:00 बजे अपराह्न तक	"
9.	निर्वाचन(यदि आवश्यक हो)	13.12.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक	"
10.	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा तथा प्रमाण पत्र निर्गत करना	13.12.2024	अपराह्न 02:30 बजे से समाप्त होने तक	"

नामांकन करने के इच्छुक प्रतिनिधि विहित प्रपत्र में नामांकन करेंगे। नामांकन फार्म के साथ शपथ पत्र (नोटरी से) एवं घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाएगा। नामांकन फार्म –सह– घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र का प्रारूप एवं प्रतिनिधि (मतदाता सूची) जिला सहकारिता पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी या बिस्कोमान के वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

25/11/24

प्रबंध निदेशक

25/11/24

अनु0-15-05

बिस्कोमान

(बिहार एवं झारखण्ड)

जिलाः–

वर्गः–

बिस्कोमान की विशेष आम–सभा/सामान्य निकाय के गठन हेतु
उपविधि 20(बीस) के तहत् विशेष आम–सभा/निदेशक पर्षद के निर्वाचन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन का नामांकन फार्म

1. उम्मीदवार का नाम व पूरा पता ....
   पिता/पति का नाम ....
   ग्राम+पो॰ ....
   थाना ....
   जिला ....
   पिन कोड ....
   फोन/मोबाईल नं॰ ....
   समिति का पूरा नाम ....
   जिसका प्रत्याशी प्रतिनिधित्व कर रहा है। ....
   पदनाम एवं वर्ग ....
   प्रतिनिधि/मतदाता सूची में उम्मीदवार के नाम की क्रम संख्या ....

2. प्रस्तावक
   i) पूरा नाम ....
   ii) समिति का नाम ....
   iii) पदनाम एवं श्रेणी ....
   iv) प्रतिनिधि/मतदाता सूची में प्रस्तावक के नाम की क्रम संख्या ....
   v) हस्ताक्षर या अंगूठा निशान ....
   vi) मोबाईल नं॰ ....

3. समर्थक
   i) पूरा नाम ....
   ii) समिति का नाम ....
   iii) पदनाम एवं श्रेणी ....
   iv) प्रतिनिधि/मतदाता सूची में प्रस्तावक के नाम की क्रम संख्या ....
   v) हस्ताक्षर या अंगूठा निशान ....
   vi) मोबाईल नं॰ ....

उम्मीदवार की घोषणा

घोषणा करता/करती हूँ कि बिस्कोमान की प्रतिनिधि विशेष आम–सभा के जिला स्तरीय प्रतिनिधि के पद का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सहकारी मूल्यों को बनाए रखने, सहकारी सिद्धान्तों का अनुसरण करने, बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002(यथा संशोधित–2023) के प्रावधानों, बिस्कोमान उपविधियों मुझ पर यथा लागू, का अनुपालन करूँगा/करूँगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सदैव बिस्कोमान के हित में कार्य करूँगा/करूँगी तथा किसी भी तरह से बिस्कोमान के प्रतिस्पर्द्धियों का हिस्सा नहीं बनूँगा/बनूँगी तथा बिस्कोमान प्रतिस्पर्द्धियों को प्रोत्साहित/सहयोग नहीं करूँगा/करूँगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी ऐसी सहकारी समिति जो बिस्कोमान की प्रतिस्पर्द्धी है अथवा अपने आपको किसी भी तरह से बिस्कोमान का प्रतिस्पर्द्धी घोषित किया है, उस समिति की महासभा/प्रतिनिधि महासभा/बोर्ड/प्रबंध कमिटी/शासी परिषद् अथवा इसके समकक्ष अथवा इसी प्रकार के किसी निकाय का सदस्य नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सदैव सदस्यों की आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करूँगा/करूँगी तथा सर्वांगीण व्यावसायिक प्रबंधन को सुनिश्चित करूँगा/करूँगी तथा यह भी सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि मेरी समिति जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ, किसी भी तरह से बिस्कोमान के मामले में विशेष रूप से बिस्कोमान को भुगतान करने के मामले में डिफॉल्टर न हो।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं अथवा मेरी समिति जिसका मैं बिस्कोमान में प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ यदि डिफॉल्टर हो, अथवा, उपर्युक्त खण्ड अथवा खण्डों में से किसी का उल्लंघन करती है तो मेरी अपनी समिति में प्रतिनिधित्व स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा इस प्रकार मैं प्रतिनिधि ही नहीं रहूँगा/रहूँगी।

प्रत्याशी का पूरा हस्ताक्षर.................................

दिनांक–..............................

चुनाव अधिकारी का आदेश

- नामांकन पत्र वैध पाया गया है।
  पूरे पते सहित नाम को उम्मीदवार सूची में शामिल करने के आदेश दिये जाते हैं।
- नामांकन पत्र अवैध पाया गया है। तथा इस रद्द किया जाता है।

चुनाव अधिकारी

दिनांक–...

....

- जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।
- इस फार्म में उम्मीदवार/प्रस्तावक/समर्थक के हस्ताक्षर उसी भाषा व शैली में किए जाने चाहिए जैसे कि प्रतिनिधि नामांकन हेतु विहित प्रपत्र में किये गये हैं। जिन जिलों में प्रतिनिधि समितियों की संख्या प्रस्ताव एवं समर्थन समितियों के अनुपातिक उपलब्ध नहीं है वहाँ यह शर्त स्वतः प्रभावी नहीं होगा।
- चुनाव अधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शित की गई सूची में से मतदाता सूची संख्या ली जा सकती है।

अनुलग्नक – 05

बिस्कोमान

(बिहार एवं झारखण्ड)

शपथ–पत्र जो नामांकन पत्र के साथ दिया जायेगा)

(शपथ–पत्र)

मैं ...., पिता–.., उम्र– ....वर्ष, ग्राम+मो0– ....,पोस्ट–............................ .थाना ...., जिला– ...., बिहार/झारखण्ड का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :–

कि मैं अपना नामांकन पत्र बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड) के विशेष आम–सभा/सामान्य निकाय के प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा हूँ/रही हूँ।

कि मैं बहुराज्य सहकारी सोसाईटी नियमावली, 2002 (यथा संशोधित) के नियम 19 और 20 एवं बहुराज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 2002 की धारा 43 एवं 46 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ।

कि मैं बहुराज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित) की धारा 29 एवं 43 के अन्तर्गत निर्वाचन हेतु योग्य हूँ।

कि मैं बिस्कोमान की उपविधियों के अधीन प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु निरर्हित नहीं हूँ।

कि मैं किसी भी सहकारी समिति का डिफॉल्टर अथवा किस्त खिलाफ नहीं हूँ।

कि मैं भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा/करूँगी, जिससे संस्था की छवि धूमिल हो अथवा मेरे या मेरे समिति के कारण संस्था को आर्थिक नुकसान उठाना पड़े।

कि मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

कि यदि किसी भी स्तर पर बहुराज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम एवं नियमावली 2002 (यथा संशोधित) अथवा बिस्कोमान की उपविधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अयोग्यता पायी जाती है, तो निर्वाचन रद्द किया जा सकेगा।

स्थानः–

दिनांकः–

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 06

सेवा में,

विस्कोमान के जिला मतदान पदाधिकारी
–सह– निर्वाचन प्रभारी

....

विषयः– नामांकन पत्र वापस लेने के सम्बन्ध में।

महाशय,

अनुरोध के साथ कहना है कि मैं श्री/श्रीमती .... सुपुत्र/पत्नी .... प्रतिनिधि .... से वर्ग .... का प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम जिला के बिस्कोमान से सम्बद्ध अंशधारी सहकारी समितियों के /प्रतिनिधियों की सूची क्रमांक – .... पर दर्ज है। मेरे द्वारा प्रतिनिधि के लिए निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। पूर्ण विचारोपरांत तथा बिना किसी दवाव के पूरे होशो–हवास में स्वेच्छा से अपना नामांकन पत्र वापस लेता/लेती हूँ, जिसे स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

प्रतिनिधि का पूर्ण हस्ताक्षर